ऑन लाईन नं.RCMS2023/268

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 110/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—
मै0 जयशंकर नमकीन भण्डार, 4/188 सुखाडिया शॉपिंग सेंटर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय **दिनांक : 20.10.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.06.2023 को बाद दोपहर 5.35 पी. एम. का **मै0** जयशंकर नमकीन भण्डार, 4/188 सुखाडिया शॉपिंग सेंटर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान में रखे एक टोकरे में 5 किलो **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का नगद भुगतान 400/– रुपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** 2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कराकर ढक्कन बंद किये औरा चारों बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1843** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1843** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील वपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार शर्मा एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक –:I.S./880/Act/2023/880 Dated 28-06-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1823 Sub- Standard Food as extracted fat does not conform the standard of Vanaspati** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजीव शर्मा पुत्र श्री बालकिशन शर्मा **मै0** जयशंकर नमकीन भण्डार, 4/188 सुखाडिया शॉपिंग सेंटर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी दुकान पर जलेबी बेचने का कार्य करता है। दिनांक 31.05.2023 को उक्त दुकान पर जलेबी मिठाई का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में जलेबी मिठाई बनाने में प्रयुक्त वनस्पति घी सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध घी खरीदकर जलेबी बनाने में प्रयोग किया गया है जो सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी भविष्य में घी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्या करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का सैम्पल **K-1823** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./880/Act/2023/880 Dated 28-06-2023 द्वारा **Sub- Standard Food as extracted fat does not conform the standard of Vanaspati** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी दुकान पर जलेबी बेचने का कार्य करता है। दिनांक 31.05.2023 को उक्त दुकान पर जलेबी मिठाई का सैम्पल लिया गया था। जिसकी जांच में जलेबी मिठाई बनाने में प्रयुक्त वनस्पति घी सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा बाजार में उपलब्ध घी खरीदकर जलेबी बनाने में प्रयोग किया गया है जो सब–स्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी भविष्य में घी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगा। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। कृप्या प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए कम से कम आर्थिक दण्ड लगाने की कृप्या करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Jalebi Methai (Made in Vanaspati)" bearing Code No and Sr. No. K-1823, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted Fat does not conform the standard of Vaanaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000–00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में सुनील कुमार पुत्र शिवकुमार खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।